

Duplicate Copy

12-Jul-2022

आदेश

तिथि

Jul 7 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा दुहाटाड थाना झरिया

| खाता | प्लॉट | रकबा |
|------|-------|------------------------------|
| 3 | 77 | 0 एकड़, 1.96 डिसमील, 0हेक्टर |

का बिक्रेता

| विक्रेता का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|------------------|--------|--------------------|
| चंद्र शेखर शर्मा | पिता | शिव नन्दन मिस्त्री |
| देव कुमार शर्मा | पिता | शिव नन्दन मिस्त्री |

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2511 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

| रियत का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|-------------|--------|--------------------|
| श्रुति देवी | पति | शिव नन्दन मिस्त्री |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **5रुपये****स्वीकृत**

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद